

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.- 72/19

सरकार बनाम कैलाश

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)
दिनांक-19.3.19

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरुषोत्तमपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 रकबा 17.35 है0 किस्म जमीन चारागाह मेंसे 0.01 है0 पर कैलाश पुत्र चतरू जाति बावरिया निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने झोंपडी बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया तथा नाही कोई सबूत साक्ष्य पेश किया गया । लिहाजा गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायल कैलाश पुत्र चतरू कोम बावरिया निवासी पुरुषोत्तमपुरा को वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के खसरा नंबर 30/17.35 है0 किस्म चारागाह सरकारी भूमि में से 0.01 है 0 भूमि पर झोंपडी का निर्माण करना अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता है जिसके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः कैलाश पुत्र चतरू कोम बावरिया निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30/17.35 है0, किस्म जमीन चारागाह मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात से मौके पर बनी झोपडी को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान 0.8रू का पचास गुणा राशि 4 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। वास्ते बेदखली, पैलन्टी वसूल भू - अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को लिखा जावे , मांग कायमी हेतु तहसील

राजस्वलेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

888